उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार–249404

संख्या :: **186/23/E-01/DR(ICC/ASO)/2023-24** दिनाँक :: 17 सितम्बर, 2024

विज्ञप्ति
अन्वेषक कम संगणक एवं सहायक सांख्यिकीय अधिकारी लिखित (मुख्य) परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार)–2023

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या **: A-1/E-1/DR (ICC/ASO)/2023-24**, दिनांक 07 फरवरी, 2024 के सापेक्ष ऑनलाईन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की अन्वेषक कम संगणक एवं सहायक सांख्यिकीय अधिकारी लिखित (मुख्य) परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार)–2023 का आयोजन **दिनांक 06 अक्टूबर, 2024 (रविवार) से दिनांक 08 अक्टूबर, 2024 (मंगलवार)** तक उत्तराखण्ड राज्य के 02 नगरों यथा हल्द्वानी एवं हरिद्वार के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में निम्नलिखित कार्यक्रमानुसार किया जाना निर्धारित हैः–

क्र0 सं0	परीक्षा तिथि / दिवस	सत्र / समय	विषय
1.	06 अक्टूबर, 2024 (रविवार)	प्रथम सत्र प्रातः 09.00 बजे से 11.00 बजे तक	सामान्य हिन्दी एवं सांख्यिकी विश्लेषण की तकनीकें
		द्वितीय सत्र अपराह्न 02.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक	गणित / औद्योगिक गणित / व्यावहारिक गणित।
2.	07 अक्टूबर, 2024 (सोमवार)	प्रथम सत्र प्रातः 09.00 बजे से 12.00 बजे तक	सांख्यिकी / गणितीय सांख्यिकी / व्यावहारिक सांख्यिकी।
		द्वितीय सत्र अपराह्न 02.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक	अर्थशास्त्र / व्यावहारिक अर्थशास्त्र / व्यावसायिक अर्थशास्त्र / अर्थमिति।
3.	08 अक्टूबर, 2024 (मंगलवार)	एकल सत्र प्रातः 09.00 बजे से 12.00 बजे तक	1. वाणिज्य। 2. डाटा विज्ञान।

02. उक्त परीक्षा के लिए औपबन्धिक रुप से अर्ह अभ्यर्थी अपना **प्रवेश–पत्र (Admit-Card) दिनांक 20 सितम्बर, 2024** से आयोग की वेबसाईट **psc.uk.gov.in** अथवा **ukpsc.net.in** से डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को डाक द्वारा पृथक से प्रवेश–पत्र (Admit-Card) प्रेषित नहीं किये जायेंगे। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र में अंकित महत्वपूर्ण निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन संबंधी किसी भी अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

03. प्रश्नगत विज्ञापन के अनुक्रम में ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्वयं श्रुतलेखक लाने का दावा करने वाले दिव्यांगजन अभ्यर्थी में से 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थी उक्त विज्ञापन के परिशिष्ट–7(1) एवं परिशिष्ट–7(2) तथा श्रुतलेखक की दो आवक्ष (पासपोर्ट

साइज़) फोटो, श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी अंक–तालिका एवं प्रमाण–पत्र, श्रुतलेखक के आधार–कार्ड की छायाप्रति उपलब्ध कराना आवश्यक है।

04. प्रश्नगत विज्ञापन के अनुक्रम में ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्वयं श्रुतलेखक लाने का दावा करने वाले दिव्यांगजन अभ्यर्थी में से 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थी उक्त विज्ञापन के परिशिष्ट–8(1) एवं परिशिष्ट–8(2) तथा श्रुतलेखक की दो आवक्ष (पासपोर्ट साइज़) फोटो, श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी अंक–तालिका एवं प्रमाण–पत्र, श्रुतलेखक के आधार–कार्ड की छायाप्रति उपलब्ध कराना आवश्यक है।

05. प्रश्नगत परीक्षा के सापेक्ष अपने ऑनलाईन आवेदन में **आयोग से श्रुतलेखक** उपलब्ध कराने का विकल्प चयनित करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को विज्ञापन के परिशिष्ट–7(1) (40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता हेतु) अथवा परिशिष्ट–8(1) (40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता हेतु) पर नियत प्रारूप पर प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जायेगा। ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी परीक्षा की तिथि से 02 दिन पूर्व अर्थात **दिनांक 04 अक्टूबर, 2024** को लोक सेवा आयोग, हरिद्वार कार्यालय में उपस्थित होकर श्रुतलेखक से मिल सकते हैं।

06. दिव्यांग अभ्यर्थी उक्त परिशिष्ट आयोग की वेबसाईट psc.uk.gov.in एवं विज्ञापन के साथ संलग्न परिशिष्ट से डाउनलोड कर सकते हैं।

07. प्रश्नगत विज्ञापन के अनुक्रम में ऑनलाइन आवेदन पत्र में श्रुतलेखक लाने का दावा करने वाले दिव्यांगजन अभ्यर्थी को बिन्दु सं0 03, 04 एवं 05 में वांछित अभिलेख आयोग कार्यालय में **दिनांक 23 सितम्बर, 2024 (सोमवार)** तक आयोग कार्यालय में डाक अथवा किसी अन्य माध्यम से **सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार, पिन–249404** को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

आयोग द्वारा निर्धारित उक्त तिथि तक वांछित अभिलेख आयोग कार्यालय को उपलब्ध कराने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को ही आयोग द्वारा श्रुतलेखक अनुमन्य किया जाएगा। ई–मेल के माध्यम से उक्त अभिलेख/ प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा श्रुतलेखक अनुमन्य नहीं किया जाएगा।

08. आयोग द्वारा नियत अंतिम तिथि 23 सितम्बर, 2024 (सोमवार) के पश्चात श्रुतलेखक उपलब्ध कराये जाने से सम्बन्धित किसी भी दिव्यांग अभ्यर्थी के प्रत्यावेदन पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

-SD-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।